

फद अहकाम



बिदानी

बनाम

विजयलक्ष्मी व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 71/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>में वाद विद्वे करना यादगी है।</p> <p></p> <p>R. म. विद्वे</p> <p></p> <p>मिडिया आर्काइव वादी अधिवक्ता 28/6/2023</p> <p>No objection for withdrawal</p> <p>Filer 28/6/23</p>	<p>28/06/23</p>	<p>पत्रावली भालनीप डीआलय राजस्थान डाफीलीप अधिकारी जयपुर से निर्णय उपरान्त प्राप्त हुई। वादीया व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित दास्त पत्रावली संलग्न हुए पत्रावली की गई। प्राथमिक / वादीया द्वारा प्रेषण बाबत वाद की विज्ञा निर्दिष्ट करने का पत्र निम्न वादीया की पट्टामान डकके अधिवक्ता व आप्पर कार्ड से की गई। विज्ञा क्रम पर उपपत्ती को सुना गया वादीया को प्रारूप स्वीकार किया जाकर वादीया की वाद विज्ञा निर्दिष्ट करने की अनुमति दी जाती है। परिणाम स्वयं वादीया का वाद इसी स्तर पर रखा किया जाता है। पत्रावली द्वारा सुमार होकर पूजा से कम है बाद तकनीक दखिल है है।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>

